संख्या–564/चि0–3–14–जी0–06/2013

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 28 फरवरी, 2014

विषय :–प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शासन द्वारा अधिसूचित सुदूर, दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्रों के सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 चिकित्सालयों में कार्यरत पी0एम0एच0एस संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों को राजकीय मेडिकल कालेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–169/चि–3–14–जी0–06/2013, दिनांक 22.01.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में शासन द्वारा अधिसूचित सुदूर, दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 केन्द्रों पर कार्यरत् ऐसे सभी एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सक जिन्होंने चिन्हित चिकित्सालयों में न्यूनतम् 03 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, हेतु राजकीय मेडिकल कालेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के 30 प्रतिशत सीटों को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(क) आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन हेतु पात्रता:–

1. उक्त अधिसूचित केन्द्रों पर कार्यरत अथवा कार्य कर चुके वे चिकित्साधिकारी पात्र होंगे, जिनके द्वारा आवेदन पत्र के साथ ओ0पी0डी0 रजिस्टर पर आधारित दैनिक डायरी उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें उनके द्वारा विगत 03 वर्षो में देखे गये मरीजों की कुल संख्या एवं उनके द्वारा किये गये ऑपरेशन आदि का स्पष्ट विवरण भी अंकित होगा।
2. उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले चिकित्साधिकारियों को उनके 03 वर्षो का विवरण सक्षम प्राधिकारी की संस्तुति सहित आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक चिकित्साधिकारी अपने आवेदन पत्र सम्पूर्ण अभिलेखों सहित महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करेंगे।

4. ऐसे चिकित्साधिकारी जिनके विरूद्ध कोई विभागीय/सतर्कता जॉच लम्बित हो अथवा अन्य प्रतिकूल तथ्य हो, आवेदन हेतु पात्र नही होंगे।

(ख) स्कीनिंग कमेटी:–

चिकित्साधिकारियों से प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण एवं जांच हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 की अध्यक्षता में एतद्द्वारा स्कीनिंग कमेटी का गठन निम्नवत् किया जाता है:–

1– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ – अध्यक्ष

2– निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ – सदस्य

3– निदेशक प्रशिक्षण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ – सदस्य

स्कीनिंग कमेटी के कार्य:–

1. आवेदन पत्र का प्रारूप निर्धारित किया जाना।
2. अर्हता की शर्ते निर्धारित किया जाना।
3. अर्हता का सत्यापन/प्रक्रिया निर्धारण किया जाना।
4. प्राप्त आवेदन पत्रों में अंकित किये गये विवरणों की सत्यता की जॉच करना।
5. पूर्व के 03 वर्षो की ओ0पी0डी0 रजिस्टर पर आधारित दैनिक डायरी के विवरणों आदि की जॉच करना।
6. उक्त चिकित्साधिकारियों के विरूद्ध विभागीय/सर्तकता जॉच अथवा अन्य कोई प्रतिकूल तथ्य तो नही है, इन तथ्यों की पुष्टि करना।
7. अभ्यर्थी डिबार कैटेगरी के अन्तर्गत है अथवा नही, इस तथ्य की जॉच करना।
8. स्कीनिंग कमेटी द्वारा संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों की सूची शासन को उपलब्ध कराना।

(ग) अन्य शर्ते:–

1. कमेटी द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों को यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0 परीक्षा में सम्मिलित होना होगा तथा निर्धारित न्यूनतम् अंक प्राप्त करने होंगे।
2. इन सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुरूप की जायेगी।

3. चयन एवं काउन्सिलिंग की प्रक्रिया के निर्धारण सम्बन्धी आदेश पृथक से जारी किया जायेगा।

4. यदि कोई चिकित्सक प्रवेश लेने के उपरान्त अपनी सीट छोड़ देता है तथा वह सीट आगामी काउन्सिलिंग के सत्रों के लिये उपलब्ध नही रह जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसे अगले 03 वर्षो तक डिबार श्रेणी में रख दिया जाएगा।

5. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त इन चिकित्साधिकारियों की सेवायें प्रदेश में स्थापित किसी भी राजकीय चिकित्सालय में ली जा सकेगी।

6. पी0एम0एच0एस0 संवर्ग हेतु आरक्षित सीटों में जिन चिकित्साधिकारियों द्वारा प्रवेश लिया जायेगा, उनके द्वारा सामान्य छात्रों के अनुरूप ही अद्यतन नियमों के अनुसार शैक्षणिक शुल्क देय होगा।

7. पी0एम0एच0एस0 संवर्ग हेतु आरक्षित सीटों में प्रवेश लेने वाले चिकित्साधिकारियों पर सम्बन्धित कालेज के प्रधानाचार्य का सम्पूर्ण प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं अनुशासनिक नियन्त्रण रहेगा। अध्ययन की अवधि के दौरान उक्त मेडिकल कालेजों में आवास तथा अन्य सुविधायें विशेष रूप से प्राप्त नही होगी। अध्ययन अवधि के आधार पर उक्त मेडिकल कालेज में तैनाती/नियुक्ति का कोई अधिकार सृजित नही होगा।

8. अध्ययन की अवधि को सेवा अवधि माना जायेगा।

(घ) मानदेय–चयनित चिकित्साधिकारियों को अध्ययन की अवधि में असाधारण अवकाश पर माना जायेगा, इसलिए इन चिकित्साधिकारियों को वर्तमान में मिल रहे वेतन व अन्य भत्ते अनुमन्य नही होंगे, तथापि यदि इस अवधि में वे रेजीडेंट का कार्य करते है तो जो धनराशि रेजीडेंट को अनुमन्य होती है, उतनी धनराशि उन्हें मानदेय के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। किसी अन्य स्रोतों से किसी प्रकार का अन्य भुगतान अनुमन्य नही होगा।

(च) बाण्ड– चयनित चिकित्साधिकारियों को इस आशय का "Bond" भरना अनिवार्य होगा जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि वे पी0जी0 पाठ्यकम पूर्ण करने के उपरान्त न्यूनतम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा अनिवार्य रूप से इस प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में देंगे। इससे विचलन की स्थिति में उन्हें रू0 01 करोड़ की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी।

वर्ष 2013–14 हेतु उपलब्ध करायी गयी 30 प्रतिशत आरक्षित सीटों के कॉलेजवार एवं विषयवार विवरण संलग्न है।

कृपया उपर्युक्तानुसार शासन द्वारा लिये गये निर्णय का व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु इसकी प्रतियाँ समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा अन्य सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को सम्प्रेषित करते हुये तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या– 564 (1)/चि–3–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निजी सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
9. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
10. चिकित्सा अनुभाग–2 एवं 8, उ0प्र0 शासन।
11. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 जटाशंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव

UPPGMEE-2014

State Quota Seats of Government Medical Colleges -Kanpur, Allahabad, Agra, Meerut, Jhansi, Gorakhpur

30% RESERVATION for PMHS

Sl No.	SPECIALITY	available seats						Total Avail. Seats	seats for proposed Reservation						As per 30% total seats
		ALD	GKP	JHS	KNP	MRT	AGR		ALD	GKP	JHS	KNP	MRT	AGR	
1	MD ANAESTH	3	1	1	3	2	3	13	1	0	0	1	1	1	4
2	MS ANAT	1	1*	1*	1	1	1	6	0	0	0	0	1	0	1
3	MS E.N.T.	2	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
4	MD FOR.MED.	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
5	MS GYN..	4	2+3*	3	5	3	4	24	1	1*	1	2	1	1	7
6	MD MEDICINE.	5	3	2+3*	5	4	7	29	1	1	1	1	2	2	8
[illegible]	MS OPHTH.	2	2	2	3	3	[illegible]	14	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4
8	MS ORTHO.	1	2	2	3	1	3	12	0	0	1	1	0	1	3
9	MD PAED.	1	2*	1+4*	3	3	3	17	0	1*	1*	1	1	1	5
10	MD PATH.	2	1+1*	1	3	2	4	14	1	1*	1	1	0	0	4
11	MD PHARMA.	1	1*	1*	1	1	1	6	0	1*	0	0	0	0	1
12	MD PHYS.	1	1	1*	1	1	1	6	1	0	0	0	0	0	1
13	MD PSYC.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
14	MD R. DIAG.	1*	0	1*	1	1	1	5	0	0	1*	0	0	0	1
15	MD R. THER.	1*	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
16	MD SKIN.	0	1+1*	0	0	1	1	4	0	2*	0	0	0	0	1
17	MD S.P.M.	1	1	1	1	1	[illegible]	6	0	0	0	0	[illegible]	1	1
18	MS SURG.	5	2+4*	2+2*	7	4	6	32	2	[illegible]	1*	1	1	2	9
19	MD TB &CH.	[illegible]	0	0	3	0		5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL	32	29	28	43	28	42	202	8	9	7	10	8	9	51

संख्या–564एक/चि0–3–14–जी0–06/2013

प्रेषक,

डा0 काजल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन।

चिकित्सा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 28 फरवरी, 2014

विषय :–प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शासन द्वारा अधिसूचित सुदूर, दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्रों के सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 चिकित्सालयों में कार्यरत पी0एम0एच0एस संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों को राजकीय मेडिकल कालेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–169/चि–3–14–जी0–06/2013, दिनांक 22.01.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शासन द्वारा अधिसूचित सुदूर, दुर्गम एवं पिछड़ें क्षेत्रों के सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 चिकित्सालयों में कार्यरत् पी0एम0एच0एस संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों को राजकीय मेडिकल कालेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित किये जाने हेतु कालेजवार/विषयवार सीटों के विवरण प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष हेतु उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिसकी अन्तिम तिथि 07 मार्च, 2014 है। यह भी संज्ञान में आया है कि यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0 परीक्षा के माध्यम से केवल उ0प्र0 के मेडिकल कालेजों से उत्तीर्ण हुये एम0बी0बी0एस0 ही इस प्रवेश परीक्षा के लिये अर्ह माने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सक जो कि न केवल प्रदेश के अन्दर बल्कि प्रदेश के बाहर एवं विदेशों में स्थित मेडिकल कालेजों से एम0बी0बी0एस0 उत्तीर्ण करने के उपरान्त पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में अपना सक्रिय योगदान देते हुये प्रदेश के सुदूर, दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्रों के सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 केन्द्रों में कार्यरत हैं, और उनके द्वारा भी इस प्रवेश

परीक्षा में आवेदन किया जा रहा है, किन्तु उनका आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जा रहा है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को ऑन–लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित सॉफ्टवेयर में पृथक से व्यवस्था कराया जाना होगा ताकि अन्य प्रदेशों अथवा विदेशों की चिकित्सा संस्थाओं से प्राप्त डिग्रियों के कारण उनका प्रार्थना पत्र अस्वीकार न हो सकें। इसके लिये आवेदन पत्र स्वीकार करने हेतु तैयार किये गये सॉफ्टवेयर में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग एवं नॉन–पी0एम0एच0एस0 संवर्ग दो विकल्प निर्धारित किया जाना आवश्यक होगा, जिसमें पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु उ0प्र0 के मेडिकल कॉलेजों से उत्तीर्ण होने की बाध्यता न हो।

अतः अनुरोध है कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों के ऑन–लाइन आवेदन हेतु उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 काजल)
विशेष सचिव

संख्या– 565(1)/चि–3–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
4. चिकित्सा अनुभाग–2 एवं 8, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मधु जोशी

(मधु जोशी)
संयुक्त सचिव

Tn - 23/1/14

UPPGMEE-2014

State Quota Seats of Government Medical Colleges -Kanpur, Allahabad, Agra, Meerut, Jhansi, Gorakhpur

30% RESERVATION for PMHS

SI No	SPECIALITY	available seats						Total Avail. Seats	seats for proposed Reservation						As per 30% total seats
		ALD	GKP	JHS	KNP	MRT	AGR		ALD	GKP	JHS	KNP	MRT	AGR	
1	MD ANAESTH	3	1	1	3	2	3	13	1	0	0	1	1	1	4
2	MS ANAT	1	1*	1*	1	1	1	6	0	0	0	0	1	0	1
3	MS E.N.T.	2	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
4	MD FOR.MED.	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
5	MS GYN..	4	2+3*	3	5	3	4	24	1	1*	1	2	1	1	7
6	MD MEDICINE.	5	3	2+3*	5	4	7	29	1	1	1	1	2	2	8
7	MS OPHTH.	2	2	2	3	3	2	14	1		0	1	[illegible]	[illegible]	4
8	MS ORTHO.	1	2	2	3	1	3	12	0	0	1	1	0	1	3
9	MD PAED.	1	2*	1+4*	3	3	3	17	0	1*	1*	1	1	1	5
10	MD PATH.	2	1+1*	1	3	2	4	14	1	1*	1	1	0	0	4
11	MD PHARMA.	1	1*	1*	1	1	1	6	0	1*	0	0	0	0	1
12	MD PHYS.	1	1	1*	1	1	1	6	1	0	0	0	0	0	1
13	MD PSYC.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
14	MD R. DIAG.	1*	0	1*	1	1	1	5	0	0	1*	0	0	0	1
15	MD R. THER.	1*	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
16	MD SKIN.	0	1+1*	0	0	1	1	4	0	2*	0	0	0	0	1
17	MD S.P.M.	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	1	1
18	MS SURG.	5	2+4*	2+2*	7	4	6	32	2	1	1*	1	1	2	9
19	MD TB &CH.	1	0	0	3	0	[illegible]	5	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL	32	29	28	43	28	42	202	8	9	7	10	8	9	51